पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 14/2023

उनवान :

राजेश कुमार पुत्र सन्तलाल जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मेहरिया हाल मकान नं0 315 वार्ड नं0 13 सिवानी तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा तह0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. सन्तलाल पुत्र लालचंद जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मेहरिया तहसील भादरा।
2. वजीर पुत्र सन्तलाल जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मेहरिया तहसील भादरा।
3. मनीषा रानी पत्नी धर्मपाल पुत्री सन्तलाल जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मेहरिया तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 7 दीपलाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री खेताराम कस्वां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण।। की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 162/147 के खसरा सं0 530/2 की 1.2140है0 बारानी तथा रोही मौजा मेहरिया के खाता सं0 30/28 के खसरा सं0 10/2 की 0.2280है0, खसरा सं0 11 की 1.5180है0, खसरा सं0 176/2 की 0.3790है0, खसरा सं0 35 की 1.5310है0, खसरा सं0 7/1 की 0.5060है0 कुल 4.1620है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 संतलाल का नाम कलमजन कर वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 वजीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner